Legal Cell E-Mail:- legalicds@gmail.com

स्मरण पत्र

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाऐं

क्रमांकः एफ 15(7)(6)/लाईट्स/विधि/आईसीडीएस/17 जयपुर, दिनांक :

समस्त प्रभारी अधिकारी, (वाद)
मुख्यालय।
समस्त उप निदेशक, मबावि
समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी,

विषयः— विभागीय न्यायिक प्रकरणो में जवाबदावा प्रस्तुत कने बाबत।

उपयुर्क्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आपको बतौर प्रभारी अधिकारी आवंटित विभिन्न न्यायालय प्रकरणों में राज्य सरकार के विरुद्ध दायर न्यायिक प्रकरणो की सूचनाएँ न्याय विभाग की वैबसाईट पर निर्धारित प्रपत्रो में अपडेट करने हेतु बार—बार लिखने के उपरान्त भी न्यायिक प्रकरणों को आज दिनांक तक अपडेट नही किया गया है। उक्त कार्यवाही नही करने पर **शासन सचिव, महोदया मबावि** द्वारा गम्भीरता से लेते हुये तत्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।

अतः समस्त प्रभारी अधिकारियो को निर्देशित किया जाता है कि विभागीय न्यायिक प्रकरणों में जवाबदावा प्रस्तुत करने से संबंधित कार्यवाही यथाशीघ्र करवाकर न्याय विभाग की वेबसाईट लाईटस पर जवाबदावा प्रस्तुत करने का इन्द्राज करवाना सुनिश्चित करावे।

उक्त निर्देशो का आप कठोरता से पालना करें अन्यथा विपरीत स्थिति में समस्त जिम्मेवारी आपकी मानते हुए उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया जावेगा।

अति.निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाऐं
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः एफ 15(7)(6)/लाईट्स/विधि/आईसीडीएस/17/57681-82 जयपुर, दिनांक : 12.4.18
प्रतिलिपि

1. उप शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
2. उप निदेशक एवं एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, (कम्प्यूटर) मुख्यालय को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अति.निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाऐं
राजस्थान जयपुर